बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001

विज्ञापन सं.– 01/2016, 29वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के कुल 206 (दो सौ छः) पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों (पुरूष एवं महिला) से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते है। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवेदन–पत्र का प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। **एस.एल.पी.(सी) सं.–10163–10165/2015, बिहार सरकार एवं अन्य बनाम दयानन्द सिंह एवं अन्य में माननीय उच्चत्तम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा अंतिम रूप से पारित न्यायादेश के फलाफल एवं उक्त संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार से प्राप्त होने वाली सूचना के आलोक में संबंधित अभ्यर्थियों को आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की सूचना बाद में दी जाएगी। निःशक्त उम्मीदवारों को नियमानुसार आरक्षण देय होगा।**

2. **शैक्षणिक योग्यता** :– बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षोत्तीर्ण।

शैक्षिक योग्यता के लिए विभिन्न महाविद्यालयों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों द्वारा निर्गत उपाधि के संबंध में उम्मीदवारों को महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/प्रधान, अथवा विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकार द्वारा हस्ताक्षरित यह प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा कि संबंधित शिक्षण सत्र में उक्त महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय को बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है। उक्त प्रमाण पत्र के अभाव में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

3. **उम्र सीमा** -- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 210, दिनांक 06.01.2016 के आलोक में उम्मीदवारों की उम्र सीमा गणना हेतु कट–ऑफ–डेट दिनांक 01.08.2012 को 22 वर्ष से अधिक एवं 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए उक्त तिथि को उम्र 22 वर्ष से अधिक एवं 40 वर्ष से कम होनी चाहिए।

4.(क) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–4923, दिनांक 08.05.2008 के आलोक में अभ्यर्थियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने की स्थिति में प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। प्रारम्भिक परीक्षा के दो प्रश्न पत्र होंगे, जो निम्नांकित होंगे :–

क्र.सं.	पत्र	विषय	पूर्णांक
1.	प्रथम पत्र	सामान्य अध्ययन	100
2.	द्वितीय पत्र	विधि	150

प्रारम्भिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जो बहुविकल्पों पर आधारित होगा, जिसमें से एक सही उत्तर होगा। इस परीक्षा में ओ.एम.आर. (OMR) उत्तर पुस्तिका का प्रयोग किया जायेगा एवं इसकी जाँच कम्प्यूटर से आयोग कार्यालय में की जायेगी। उक्त दोनों प्रश्न पत्रों की पाठ्यक्रम सूची वही होगी, जो लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं विधि के प्रश्न पत्रों के लिए विहित है। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं विधि के विषय निम्नांकित हैः–

1. सामान्य ज्ञान (सामयिक घटनाओं सहित) (General Knowledge including current affairs)
2. प्रारंभिक सामान्य विज्ञान (Elementary General Science)
3. साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि (Law of Evidence & Procedure)
4. भारत की सांविधानिक एवं प्रशासनिक विधि (Constitutional and Administrative Law of India)
5. हिन्दू विधि और मुस्लिम विधि (Hindu Law & Muhammadan Law)
6. संपत्ति अंतरण विधि (Law of Transfer of Property) और साम्य सिद्धान्त (Principles of Equity), न्याय विधि–विशिष्ट और अनुतोष (Law of Trusts and Specific Relief) सहित
7. संविदा और अपकृत्य विधि (Law of Contracts & Torts)
8. वाणिज्य विधि (Commercial Law)

प्रारम्भिक परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों की संख्या का दस प्रतिशत, 100 के निकटतम गुणन में परिवर्तन करते हुए पात्र अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के लिए किया जायेगा और अंतिम अभ्यर्थी के समान अंक के सभी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त होंगे।

परन्तु सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के सिवाय आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों की संख्या, सुसंगत अधिनियम के अधीन राज्य सरकार की सेवाओं में उनके लिए नियत प्रतिशत के मुकाबले प्रारम्भिक जाँच में सफल अभ्यर्थियों की कुल संख्या कम हो तो उन कोटियों से उतने अभ्यर्थियों को, कम होने की सीमा तक, अतिरिक्त रूप से, मेधा के आधार पर लिखित परीक्षा लेने हेतु सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किया जायेगा।

(ख) **<u>चयन का आधार</u> :– नियुक्ति हेतु चयन, लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा।**
लिखित मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निम्नवत् है :–

परीक्षा के अनिवार्य विषय–

क्र.सं.	विषय	विषय कोड	पूर्णांक
1.	सामान्य ज्ञान (सामयिक घटनाओं सहित) (General Knowledge including current affairs)	01	150
2.	प्रारंभिक सामान्य विज्ञान (Elementary General Science)	02	100
3.	सामान्य हिन्दी (General Hindi)	03	100
4.	सामान्य अंग्रेजी (General English)	04	100
5.	साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि (Law of Evidence & Procedure)	05	150

सामान्य हिन्दी और अंग्रेजी पत्र में न्यूनतम योग्यता प्रदायी अंक 30 होगा जिसे नहीं प्राप्त करने पर उम्मीदवार को लिखित परीक्षा हेतु योग्यताप्राप्त नहीं माना जायेगा। सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी के प्राप्तांक मेधा सूची में नहीं जोड़े जायेगें।

परीक्षा के ऐच्छिक विषय–

उम्मीदवारों को निम्नांकित पाँच विषयों में से किसी तीन विषय को चुनने का विकल्प होगा :–

क्र.सं.	विषय	विषय कोड	पूर्णांक
6.	भारत की सांविधानिक एवं प्रशासनिक विधि (Constitutional and Administrative Law of India)	06	150
7.	हिन्दू विधि और मुस्लिम विधि (Hindu Law & Muhammadan Law)	07	150
8.	संपत्ति अंतरण विधि (Law of Transfer of Property) और साम्य सिद्धान्त (Principles of Equity), न्याय विधि–विशिष्ट और अनुतोष (Law of Trusts and Specific Relief) सहित	08	150
9.	संविदा और अपकृत्य विधि (Law of Contracts & Torts)	09	150
10.	वाणिज्य विधि (Commercial Law)	10	150

उपर्युक्त अंकित सभी विषयों का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

नोट :– **न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के पाठ्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–9308, दिनांक 26.06.2015 के आलोक में आंशिक संशोधन किया गया है। संशोधित पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।**

(ग) लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए 100 अंकों का साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण आयोजित किया जायेगा। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या–16645, दिनांक 03.12.2014 के आलोक में मौखिक (साक्षात्कार) परीक्षा के लिए योग्यता प्रदायी अंक 35 प्रतिशत होगा। (लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार की जायेगी)

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–8390, दिनांक 26.08.2010 के आलोक में असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के संवर्ग का कोई पदाधिकारी यदि सेवा के तीन वर्ष पूरा होने के पूर्व सेवा छोड़ देता है या सेवा त्याग देता है, तो उस अवधि के लिए संदत प्रशिक्षण का खर्च एवं परिलब्धियाँ उससे वसूलनीय होंगी।

परीक्षा हेतु आवश्यक निर्देश

5. **आरक्षण**:
(i) आवेदन पत्र में, नियत क्रमांक के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। इसके लिए स्थायी निवास प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा।

(ii) (A) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार यथा; अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :–
(a) जाति प्रमाण–पत्र
(b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र

(B) पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :–
(a) जाति प्रमाण–पत्र
(b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र
(c) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में; अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र मान्य होगा। **उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण–पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।**

(C) विकलांगता की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत निःशक्तता (विकलांगता) प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा उनको विकलांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(D) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 16144, दिनांक 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

(iii) उपर्युक्त प्रमाण–पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति आवेदन के हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

6. <u>शुल्क</u>:

केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए 150/– (एक सौ पचास) रूपये + बैंक चार्ज 50/– (पचास) रूपये; कुल 200/– (दो सौ) रूपये तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि एवं अन्य राज्य के उम्मीदवारों के लिए 600/– (छः सौ) रूपये + बैंक चार्ज 50/– (पचास) रूपये; कुल 650/– (छः सौ पचास) रूपये चालान के माध्यम से आयोग के **खाता संख्या 31650243410** में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करना होगा। अभ्यर्थी विशेष का चालान ऑनलाइन आवेदन में लॉगइन (Login) के बाद उपलब्ध होगा, जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड करेंगे एवं शुल्क जमा करेंगे। **उम्मीदवार चालान की एक प्रति (BPSC's Copy) आवेदन पत्र के साथ निश्चित रूप से संलग्न करेंगे तथा तीसरी प्रति (Depositor's Copy) अपने पास सुरक्षित रखेंगे।**

7. <u>ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के दिशा निर्देश</u>:

(i) दिनांक 22.01.2016 से ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी। ऑनलाइन पंजीकरण एवं बैंक चालान डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 05.02.2016 होगी। बैंक में चालान जमा करने की अंतिम तिथि 12.02.2016 को बैंकिंग आवर तक होगी। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 22.02.2016 होगी।

(ii) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आयोग के वेबसाईट **www.bpsc.bih.nic.in** पर आवश्यक दिशा निदेश उपलब्ध है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के पूर्व उक्त दिशा निदेशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा आवेदन पत्र भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही–सही अंकित करेंगे। आवेदन पत्र में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(iii) उम्मीदवार अपने हाल का खिंचा हुआ एक फोटोग्रॉफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित बॉक्स में अपलोड करेंगे।

(iv) अभ्यर्थी ऑनलाइन से भरे गए A4 Size के पेपर पर आवेदन पत्र को प्रिन्ट कर सभी प्रमाण–पत्र/अंक पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं बैंक चालान की प्रति संलग्न कर स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक से इस प्रकार भेजेंगे कि वह आयोग कार्यालय में **बुधवार, दिनांक 02.03.2016** को संध्या **5:00** बजे तक प्राप्त हो जाए। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी सभी अनुलग्नक के साथ निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

(v) **इन्टरनेट या पोस्टल या बैंकिग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।**

8. <u>अन्य</u>:

अपूर्ण, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

9. योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन–पत्र में किया है। योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र के निर्गत होने की तिथि, ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि (22.02.2016) के पूर्व का होना आवश्यक है।

10. इस सूचना एवं ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण–पत्र, अंक–पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निदेश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में यथासमय समुचित निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

11. <u>लिफाफा एवं प्रमाण पत्र</u>:

विहित आवेदन पत्र की हस्ताक्षरित (स्वअभिप्रमाणित) हार्ड कॉपी के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियाँ अनुलग्नक के रूप में अनिवार्यतः क्रमवार संलग्न करेंगेः–

(i) मैट्रिक का प्रमाण पत्र (जन्म तिथि के लिए);
(ii) इंटर का प्रमाण पत्र;
(iii) स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र;
(iv) विधि स्नातक उर्त्तीणता प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र;
(v) बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से प्राप्त विधि स्नातक का प्रमाण–पत्र;
(vi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये जाति प्रमाण पत्र तथा स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण–पत्र;
(vii) निःशक्त उम्मीदवारों के लिए चिकित्सा पर्षद द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण–पत्र;
(viii) बैंक में जमा चालान की मूल BPSC प्रति;
(ix) आवेदन के साथ उम्मीदवार को आचरण प्रमाण–पत्र उस संस्थान/कॉलेज/विश्वविद्यालय का संलग्न करना होगा जहाँ उम्मीदवार अंतिम रूप से अध्ययनरत रहे हों;
(x) वैवाहिक स्थिति के संबंध में एक से अधिक जीवित पत्नी होने की दशा में इसके औचित्य के कारणों का उल्लेख अवश्य करें;
(xi) उम्मीदवार का स्वास्थ्य, शरीर–रचना, आदत एवं चरित्र न्यायिक सेवा के दायित्वों की पूर्ति के लिए उपयुक्त होना चाहिए;
(xii) आवेदक उपर्युक्त सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे, जो प्रमाण–पत्र आवेदक द्वारा संलग्न नहीं किया जाएगा, बाद में आयोग द्वारा उनका संज्ञान नहीं लिया जाएगा।
(xiii) संलग्न प्रमाण–पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण–पत्रों के सामने प्रमाण–पत्र निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे;
(xiv) सभी आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण–पत्र मूल रूप में उनके पास ऑनलाइन आवेदन भरते समय उपलब्ध है।

12. जिस लिफाफा में आवेदन पत्र भेजेंगे, उस लिफाफा के ऊपर आवेदक को E-mail ID पर प्राप्त पता पर्ची (Address Slip) प्रेषक का पर्ची (Slip) चिपका कर सभी अनुलग्नकों के साथ भेजना सुनिश्चित करेंगे।

14/1/16

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

29वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक निर्देश :–

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें :–

1. ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व आवदेक यह सुनिश्चित कर लें, कि उनके पास कार्यरत E-mail ID तथा Mobile No. मौजूद है। आवेदक उक्त E-mail ID तथा Mobile No. को भविष्य में सुरक्षित रखेंगे। साथ ही आवदेक ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व विज्ञापन को अच्छी तरह से अध्ययन कर लेंगें। आवेदक सुनिश्चित हो लें कि सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल रूप से उनके पास ऑनलाइन आवेदन भरते समय उपलब्ध है।
2. आवेदक सर्वप्रथम BPSC के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in खोलें, इसमें बाँयी तरफ दिये गए टैब "Apply Online" पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा, इस पेज पर दिये गये टैब "B.P.S.C. Online Application" पर क्लिक करेंगे।
3. "B.P.S.C. Online Application" पर क्लिक करने के बाद ऑनलाइन से संबंधित पेज खुल जाएगा। इस पेज पर दो टैब "Online Registration" एवं "Apply Online" दिखेंगे।
4. आवेदक "Online Registration" के टैब पर क्लिक करेंगे। जिस पद के लिए आवेदक आवेदन करना चाहते हैं, उसके सामने दिए गए Apply बटन पर Click करेंगे। Click करने के बाद Screen पर Registration Page आ जाएगा। यहाँ आवेदक अपना नाम, E-mail ID, Mobile No., जन्म तिथि, पता इत्यादि उनसे संबंधित सभी सूचनाएँ भरेंगे। Mobile No. एवं E-mail के Confirmation हेतु Registration Page में get OTP का Button है, जिस पर Click करने के बाद Mobile No. एवं E-mail ID पर अलग–अलग Code आएगा, जिन्हें get OTP Button के बगल के Boxes में भरना होगा। उसके बाद "Submit" बटन पर Click करेंगे। Click करने के बाद आवेदक के E-mail ID पर एक E-mail आएगा, जिसमें आवेदक का User ID, Password और Login Link होगा।
5. User ID, Password प्राप्त होने के बाद आवेदक "Online Registration" के नीचे बने टैब "Apply Online" पर Click करेंगे और Exiting User के टैब में उनको प्राप्त User ID और Password तथा Captcha Code भरेंगे एवं "Login" के बटन पर Click करेंगे। "Login" बटन पर क्लिक करने के उपरान्त डैश बोर्ड खुलेगा। आवेदक डैश बोर्ड पर नीचे बाँयी तरफ "Click for Download Challan" के बटन पर क्लिक करेंगे एवं अपना चालान प्राप्त करेंगे। उक्त चालान का प्रिन्ट लेकर निर्धारित शुल्क स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा में जमा करेंगें।
6. निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरान्त पुनः आवेदक "Existing User" के टैब पर अपने User ID एवं Password तथा Captcha कोड से Login करेंगे एवं डैश बोर्ड पर सबसे नीचे "Update Challan Details" में बने विभिन्न बॉक्स में चालान से संबंधित सभी जानकारी भरकर "Submit" बटन पर क्लिक करेंगे।

नोट :– Challan details के बॉक्स में आवेदक निम्न प्रकार से भरेंगे :–

- Select Exam Type – PT
- Journal No. – चालान के माध्यम से शुल्क जमा के उपरान्त बैंक द्वारा चालान की प्रति पर दिया गया नम्बर।
- Challan Deposit date - आवेदक द्वारा बैंक में चालान के माध्यम से जमा की गई

शुल्क की तारीख।

- Branch Code – जिस ब्रांच में आवेदक द्वारा चालान जमा किया गया है, उसका ब्रांच कोड।
- Challan Amount – जो Amount आपके चालान पर प्रिन्ट है, बैंक शुल्क के साथ लिखें।

आवेदक उक्त चालान की विवरणी सही–सही अंकित करेंगे।

7. चालान की विवरणी भरने एवं Submit करने के उपरान्त आवेदक 48 घंटे (दो कार्य दिवस) के बाद पुनः "Existing User" के टैब में login कर "Click for Application Form" के बटन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आवेदन पत्र खुल जाएगा।
8. आवेदन पत्र में कतिपय बॉक्स पूर्व से भरे होंगे, जिसे आवदेक द्वारा Registration के समय भरा गया है। आवेदन पत्र में शेष खाली बॉक्स आवेदक स्वयं भरेंगे। खाली बॉक्स को भरने के पूर्व आवेदक विज्ञापन को पूरी तरह से पढ़ लें एवं उसमें दिये गये निदेश के अनुरूप ही आवेदन भरेंगे।
9. ऑनलाइन आवेदन के अंत में आवेदक हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर तथा फोटोग्राफ वर्णित स्थान पर अपलोड करेंगे।
10. आवेदक Preview बटन पर क्लिक कर उनके द्वारा भरी गयी जानकारी को देख सकते हैं एवं आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकते हैं।
11. आवेदक ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टि निश्चित रूप से भरेंगे। कोई भी बॉक्स खाली रहने पर उसके प्रतिकूल फलाफल के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे। आवेदन को Submit करने से पहले आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि सभी जानकारी जो आवेदक द्वारा दी गयी है, वह सही है तथा उनका फोटो एवं हस्ताक्षर सही तरीके से Upload हो चुका है, क्योंकि एक बार फार्म Submit करने के बाद किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा।
12. Form को Submit करने के बाद आवेदक के E-mail ID पर मेल जाएगा, जिसमें Application form, Address Slip तथा From Slip संलग्न होगा। आवेदक इसका प्रिन्ट आउट ले कर Application Form पर दिये गए निर्धारित जगह पर अपना हस्ताक्षर कर सभी वांछित प्रमाण पत्रों का स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न कर बिहार लोक सेवा आयोग को विज्ञापन में दिये गए निर्धारित समय के अन्दर निम्नलिखित पते पर भेजेंगे :–

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहर लाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001	**Joint Secretary-Cum-Examination Controller, Bihar Public Service Commission, 15, Jawaharlal Nehru Marg (Bailey Road), Patna-800001**

13. आवेदक सभी वांछित प्रमाण पत्रों का स्वअभिप्रमाणित प्रति हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। जो प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होगा, आयोग द्वारा उनका संज्ञान नहीं लिया जाएगा।
14. लिफाफे के ऊपर Address Slip तथा From Slip चिपकाना अनिवार्य होगा।
15. किसी भी तरह की कठिनाई होने पर विज्ञापन देखा जा सकता है तथा दिए गए हेल्प लाइन नम्बर पर कार्यालय अवधि सोमवार से शुक्रवार (राजपत्रित अवकाश को छोड़कर) 10:00 बजे पूर्वाहन से 05:00 बजे सायं तक में संपर्क किया जा सकता है :–

Email-ID :- bpscpat-bih@nic.in

Phone No. – 0612-2215095, 2215795, Mob No. :- +91-7544903018